

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 402
No. 01]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939	[N.C.T.D. No. 402

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

फा. सं. 61/सीडब्ल्यूसी-X/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2015-16/42465-94.—कि गोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उपधारा (1) (2) व (6) एवं धारा 2 की उपधारा 59 के तहत उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बाल कल्याण समिति-X में निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों को नामित करते हैं। यह समिति अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त भाक्तियों व कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रयोग करेगी।

क्र.सं.	बाल कल्याण समिति	नाम, पता और फोन न.	अध्यक्ष और सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)
	बाल कल्याण समिति-X, रूम न. 1 और 2, बिल्डिंग न. 5, बाल गृह, पुलिस थाने के सामने, अलीपुर, दिल्ली-110036	श्रीमती पूनम मल्होत्रा एफडी-50, पीतम पूरा, दिल्ली-110034 मो.न. 9818180810	अध्यक्ष



		श्री सत्यवीर सिंह मवाई, सी-128 बी, सेक्टर 20, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, नोएडा- 201301 (यू.पी.) मो.न. 9871747247	सदस्य
		श्री मु ताक अली एच.न. 4/580, गली नं० 7, जीवनगढ़ सिविल लाईन, अलीगढ़, यू.पी.-202002 मो.न. 8868871488	सदस्य
		श्री अ टोक कुमार विधार्थी, सी-1/184-ए डीडीए फ्लैट्स मयूर विहार, फेस III, दिल्ली-110096 मो.न. 9212008543	सदस्य
		श्री प्रवीन कुमार झा एच.न. 56, गली नं. 2, ब्लॉक सी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, बुराड़ी, दिल्ली-110084 मो.न. 9310149110	सदस्य

उपरोक्त बाल कल्याण समिति अपने नामित परिसर में अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगी।

ये बाल कल्याण समिति कि गोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 और कि गोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) नियम 2016 के अनुसार सभी कार्यदिवसों में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक कार्य करेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के  
आदेश से और उनके नाम पर,  
पी.सी. जैन, वि शेष सचिव

## DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 1st January, 2018

**F. No. 61/CWC-X/DD(CPU)/DWCD/2015-16/42465-94.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2) and (6) of section 27 read with sub-section (59) of section 2 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate the following persons as Chairperson and Members in Child Welfare Committee-X. They shall exercise the powers and discharge the duties conferred or assigned to such Committee in relation to the children in need of care and protection under the said Act, in the National Capital Territory of Delhi, namely :—

Sl. No.	Child Welfare Committee	Name, Address & Phone No.	Chairperson & Members
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Child Welfare Committee-X, Room No. 1 & 2, Building No. 5, Children Home for Boys, Opposite P.S. Alipur, Delhi	Ms. Poonam Malhotra FD-50, Pitampura, Delhi – 110034 Mob : 9818180810	Chairperson
		Sh. Satyavir Singh Mawai C-128b, Sector 20, Distt. Gautam	Member



	Nagar, Noida- 201301 (U.P) Mob : 9871747247	
	Sh. Mushtaque Ali H. No. 4/580, Street No. 7, Jeevangarh Civil Line, Aligarh, U.P. – 202002 Mob:- 8868871488	Member
	Sh. Ashok Kumar Vidyarthi C-1/184-A, DDA Flats, Mayur Vihar, Phase III, Delhi – 110096 Mob : 9212008543	Member
	Sh. Praveen Kumar Jha H.No. 56, Gali No. 2, Block C, Indraprasth Colony, Burari, Delhi– 110084 Mob : 9310149110	Member

The aforesaid Chairperson and Members of Child Welfare Committee-X shall function from their designated premises for the period of three years from the date of notification. The Child Welfare Committee shall function in terms of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Model Rules, 2016 on all working days from 10.00 am to 5.00 pm.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
P. C. JAIN, Special Secy.